(34)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर कैम्प सागर

1— कोमल तनय प्यारेलाल लोधी, 2— भूरा तनय रामप्यारे लोधी
3— मुलू तनय नथू यादव, 4— थानसिंह तनय नथू यादव,
5— उदयभान तनय नथू यादव,

R-1687-I/16

निबासी ग्राम पिपरा, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.................आवेदकगण

वनाम

1— रविन्द्र तनय पूरनलाल यादव, 2— पप्पू तनय पुरनलाल यादव,
3— देवेन्द्र तनय पूरनलाल यादव,
4— मु0 मुन्नाबाई वेवा पुरनलाल यादव,

निबासी ग्राम पिपरा, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... अनावेदगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अपील/2014—15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12/05/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं जो समय सीमा में है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदकगण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के समक्ष ग्राम भानुपरा की नामांतरण पंजी कमांक 27 प्रविष्ट दिनांक 27/01/2011 में पारित आदेश दिनांक 17/02/2011 से परिवेदित होकर 06 साल बाद प्रस्तुत की थी, जिसके साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-1687-एक/2016 जिला टीकमगढ़ कोमल विरूद्ध रविन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के अपील प्रकरण क्रमांक 48/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 12-05-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.12.18
सदस्य